



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168493

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 27523 वर्ष 2025

पिंडर सिंह और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अमित राय, गौरव सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा उनके मध्य समझौता हो गया था और उक्त समझौता वर्तमान आवेदन के साथ दाखिल किया गया है। इससे पूर्व, इस न्यायालय ने पक्षकारों को समझौते के सत्यापन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया था। उक्त आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को सत्यापन रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया था।

3. रिपोर्ट के अनुसार, पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनकी पहचान उनके संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा की गई तथा समझौते का सत्यापन विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2025 को किया गया।

4. चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन नहीं चलाना चाहता है, अतः इसे लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

5. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता उपर्युक्त तथ्यों पर विवाद नहीं करते हैं।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, जो (2019) 5 एससीसी 688** में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में समझौता/सहमति के आधार पर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के संबंध में सिद्धांत निर्धारित किए हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

“15. इस बिंदु पर विधि तथा उपर्युक्त उल्लिखित इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित एवं माना जाता है कि:

i) संहिता की धारा 320 के अंतर्गत गैर-शमनीय अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है, जिनमें अपराध का स्वरूप अत्यधिक एवं मुख्य रूप से सिविल प्रकृति का हो, विशेष रूप से वे मामले जो वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न हुए हों अथवा वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न हुए हों और जब पक्षकारों ने आपस में पूरे विवाद का समाधान कर लिया हो;

ii) ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें जघन्य एवं गंभीर अपराध अथवा मानसिक विकृति से संबंधित अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हों। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और उनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है;

iii) इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष विधियों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और केवल पीड़ित तथा अपराधी के मध्य समझौते के आधार पर उन्हें निरस्त नहीं किया जाना चाहिए;

iv) भा.दं.सं. की धारा 307 तथा शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध जघन्य एवं गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उन्हें केवल व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध माना जाना चाहिए। अतः भा.दं.सं. की धारा 307 और/या शस्त्र अधिनियम आदि के अंतर्गत ऐसे अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, पक्षकारों द्वारा अपने पूरे विवाद का आपस में समाधान कर लिए जाने के आधार पर संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए निरस्त नहीं की जा सकती। तथापि, उच्च



न्यायालय केवल इस आधार पर अपना निर्णय नहीं करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भा.दं.सं. की धारा 307 का उल्लेख किया गया है अथवा इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए यह जांच करना खुला होगा कि भा.दं.सं. की धारा 307 को केवल औपचारिक रूप से शामिल किया गया है अथवा अभियोजन ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किया है, जिसके सिद्ध होने पर भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित किया जा सकेगा। इस प्रयोजन हेतु, उच्च न्यायालय को लगी हुई चोट की प्रकृति, यह कि ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/संवेदनशील अंगों पर पहुंचाई गई है या नहीं, प्रयुक्त हथियारों की प्रकृति आदि को ध्यान में रखना खुला होगा। तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कवायद केवल जांच के उपरान्त साक्ष्य एकत्र किए जाने तथा आरोप-पत्र दाखिल किए जाने/आरोप विरचित किए जाने और/या विचारण के दौरान ही की जा सकेगी। जब मामला अभी जांचाधीन हो, तब ऐसी कवायद की अनुमति नहीं है। अतः नरेंद्र सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 29.6 और 29.7 में निकाले गए अंतिम निष्कर्षों को सामंजस्यपूर्ण रूप से तथा समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में उनका समग्र रूप से अर्थ निकाला जाना चाहिए;

v) संहिता की धारा 482 के अंतर्गत ऐसी गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, जो निजी प्रकृति के हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है, पीड़ित और अपराधी के मध्य समझौता/सहमति के आधार पर, उच्च न्यायालय के लिए



अभियुक्त की पूर्ववृत्तियों पर विचार करना आवश्यक है; अभियुक्त का आचरण, अर्थात् क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, उसने शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने के लिए किस प्रकार व्यवस्था की आदि, पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।”

7. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर आपसी सहमति से अपने विवाद का निस्तारण कर लिया है और पक्षकारों के मध्य हुए समझौते का विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापन किया जा चुका है, अतः वर्तमान आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है और वाद संख्या 17243/9 सन् 2025 (राज्य बनाम पिंडर और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 90 सन् 2025 से उत्पन्न है, धारा 333, 115(2), 351(2) बी.एन.एस., थाना नई मंडी, जनपद मुजफ्फर नगर से संबंधित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

11 अगस्त, 2026

पी.के.एस.